न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, आर.ए.एस.

2024-386RAAJodhpur2024-125RTA223 Lrs of Aasuram ors Vs Bhomaram etc

1. आसुराम के कायम मुकाम–
   1.1. केसु कंवर पत्नी आसुराम
   1.2. जानकी पुत्री आसुराम
2. चम्पालाल पुत्र गेनाराम
3. सांगाराम पुत्र गेनाराम
4. बुधाराम पुत्र गेनाराम
5. घेवरराम पुत्र गेनाराम
6. भगवान उर्फ भागीरथ पुत्र गेनाराम
7. बुधाराम उर्फ उदाराम पुत्र गेनाराम

सभी जातियान नाई. निवासी ग्राम कनोडिया पुरोहितान,
तहसील शेरगढ़, वर्तमान तहसील सेखाला जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते

1. भोमाराम पुत्र भंवरलाल
2. जयकुमार पुत्र भंवरलाल
3. अनिता पुत्री भंवरलाल
4. उषा पुत्री भंवरलाल

जातियान् नाई निवासी कनोडिया पुरोहितान, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर,
हाल निवासी– शिप हाउस, पावटा जोधपुर।

5. अमानाराम पुत्र बस्तीराम
6. बस्तीराम पुत्र कानाराम

निवासी– लवारन, तहीसल सेखाला, जिला जोधपुर।

7. तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 मई 2024 2024 सहायक कलक्टर बालेसर राजस्व मूल वाद संख्या149/1993 भंवरलाल के कायम मुकाम बनाम आसुराम के कायम मुकाम इत्यादि

उपस्थित–
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता--अपीलाण्ट्स
श्री जगदीशसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं. 7

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 15 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 1993/149 अनवान भंवरलाल के कायम मुकाम बनाम आसुराम के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 मई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 03 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक से चार की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी ग्राम लवारन के खसरा नम्बर 83, 93, 114 व 114 के सम्बन्ध में 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का दावा पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणस को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर वादीगण के वाद का खण्डन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 मई 2024 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री तनकीवार निष्कर्ष पारित करते हुए पारित किया जाकर आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. की पालना की जानी चाहिए थी, किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने गवाहों एवं दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना ही एवं उन पर किसी प्रकार का निष्कर्ष दिये बिना ही केवल मात्र अवलोकन के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की गई है। यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री पारित की गई है। मामले में प्रतिवादी संख्या 03 भंवरी बेवा गेनाराम फौत हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1/2 जानकी नाम की आसुराम की कोई वारिस पुत्री ही नहीं है। प्रतिवादी संख्या 04 से 07 के पिता का नाम आसुराम लिखा गया है, जबकि इनके पिता का नाम गैनाराम है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड का अवलोकन किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है जो निरस्त होने योग्य है। हस्तगत मामले में रेस्पोडेण्ट्स ने बंटवाड़े की भी मांग

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की गई थी, इसलिए बंटवाड़े के वाद में प्राथमिक डिक्री किये जाने का प्रावधान है, लेकिन हस्तगत मामले में निर्णय एवं डिक्री में प्राथमिक डिकी जारी नहीं की जाकर अन्तिम डिक्री ही जारी कर दी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अपीलाण्ट ने भवंराराम को रामूराम का लड़का नही होने का कथन किया गया था. जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने भंवराराम को रामूराम का पुत्र बताकर रामूराम को सिमरथा का पुत्र मानने में कानूनी गलती की गई है। वारिस होने की घोषणा राजस्व न्यायालय द्वारा तय नहीं की जाकर सिविल न्यायालय द्वारा तय की जाती है। इस कानूनी बिन्दु को नहीं मानकर निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की गई है। इस आधार पर निर्णय एवं डिकी निरस्त होने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 मई 2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की पुंश्तैनी खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। वाद पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अपने 1/4 हिस्से की घोषणा एवं उक्त हिस्से का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद–पत्र एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब के आधार पर मामले में तीन निम्न तनकीयात कायम किये गये है:–

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

01. . आया वादी खसरा नंबर 83 रकबा 50.05 बीघा, खसरा नंबर 93 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 114 रकबा 20 बीघा, खसरा नंबर 44 रकबा 109.01 बीघा मौजा लवारन में 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी है? **जिम्मे वादी.....**

...

02. आया वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्तानुसार बंटवाड़ा किया जाना संभव है? **जिम्मे वादी.....**

03. प्रतिवादीगण को उक्त खसरों में उनकी खातेदारी व लगातार कब्जा होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर दावा खारिज योग्य है?

जिम्मे प्रतिवादी...

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते वक्त मामले में विरचित तनकीयात पर प्रस्तुत साक्ष्यों के वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत अपना निष्कर्ष पारित किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है।

यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन का भी अनुतोष चाहा गया है तथा उनकी ओर से अपना उक्त अनुतोष किसी प्रकार प्रार्थना पत्र अथवा लिखित रूप में विड्रो किया जाना नहीं पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद में प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये बिना सीधे ही अंतिम डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 1993/149 अनवान भंवरलाल के कायम मुकाम बनाम आसुराम के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 गई 2024 किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत गामले में विरचित तनकीयात पर अपना निष्कर्ष पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करते हुए विभाजन की इस्तदुआ को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करे तथा तत्पश्चात आगामी कार्यवाही करते हुए विधिनुसार वाद का अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर